CWJC No.1534/2017 विजय कुमार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–22.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में सकारण आदेश।

CWJC No.1534/2017 विजय कुमार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–22.03.2018 को कर दिया गया है। उक्त न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ता विजय कुमार, मौसमी डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मी, जिला मलेरिया कार्यालय, पटना के द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में विचारण किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मी, जिला मलेरिया कार्यालय, पटना में छिड़काव कार्य में कार्यरत रहे है एवं उनके द्वारा चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति के लिए पैनल निमार्ण हेतु माननीय उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। न्यायादेश दिनांक–22.03.018 में प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या–03 निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के समक्ष अभ्यावेदन देने हेतु Liberty Grant किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तीन सप्ताह के अन्दर प्रतिवादी को अभ्यावेदन पर निर्णय देने का निदेश प्राप्त हुआ। चूँकि डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मी के चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति एवं इस हेतु पैनल निमार्ण का कार्य जिला पदाधिकारी के क्षेत्रान्तर्गत है। इसलिए उक्त न्यायादेश में संशोधन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–410, दिनांक–18.05.2018 के द्वारा सिविल रिव्यू संख्या–........./2018 दायर करने हेतु प्रतिशपथ पत्र पी0ए0ए0जी0–02, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया साथ ही स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक–442(11), दिनांक–29.05.2018 के द्वारा वादी विजय कुमार के न्यायादेश के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन की प्रति जिला पदाधिकारी, पटना को नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु भेज दी गई। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा उनके पत्रांक–306, दिनांक–10.07.2018 से उक्त अभ्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु मौसमी डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मी के आधार एवं प्रक्रिया से संबंधित विभागीय पत्र उपलब्ध कराने की मांग की गई।

स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक–790(11), दिनांक–01.08.2018 के द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को डी0 डी0टी0 छिड़काव कर्मियों के समायोजन हेतु आधार एवं प्रक्रिया विभागीय एवं सरकारी पत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी गयी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वादी विजय कुमार का अभ्यावेदन जो चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल निमार्ण से संबंधित है का विषय प्रतिवादी संख्या 03, निदेशक प्रमुख, के अधीन न होकर उक्त के नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी, पटना के क्षेत्रान्तर्गत है।

अतः आवेदक श्री विजय कुमार को निदेश दिया जाता है कि वे अपना अभ्यावेदन नियमानुकूल जिला पदाधिकारी, पटना के समक्ष प्रस्तुत करें। इस संबंध में स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक–790(11), दिनांक–01.08.2018 के द्वारा पूर्व में ही जिला पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया जा चुका है।

ह0/–
(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख,(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–11/एम०(कोर्ट)–08/2018–816(11) **पटना, दिनांक**– 06/8/2018

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री विजय कुमार, पिता–स्व0 रामउग्रह महतो, मो0 गरहुआ टोला, था0–सुल्तानगंज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

6/8/18

निदेशक प्रमुख,(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

D:\Shakti Nath Das\Order.docx